न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील सं0:–65/2012

उनवान

1. जयराम पुत्र रामनारायण जाति गूर्जर निवासी बाढ़ बिलन्दी सब तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।

...................वादी/ अपीलांट

बनाम

1. हीरालाल पुत्र गंगल जाति गूर्जर निवासी बाढ़ बिलन्दी सब तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 – मृतक
   1/1. रामप्रताप पुत्र स्व0 हीरालाल गूर्जर,
   1/2. रमेशचन्द पुत्र स्व0 हीरालाल गूर्जर,
   1/3. रामसिंह पुत्र स्व0 हीरालाल गूर्जर निवासी बाढ़ बिलन्दी पो0 जमालपुर तहसील व जिला अलवर राज0 ।
   1/4. रामवती पत्नि जगराम पुत्री हीरालाल निवासी हाल ग्रा.पो. खखावली तहसील नगर जिला भतरपुर राज0 ।
   1/5. सुगना पत्नि लल्लूराम पुत्री हीरालाल गूर्जर निवासी हाल गूजरबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।
   1/6. अणता पत्नि गिर्राज जाति गूर्जर निवासी गूजरबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
2. रामफल पुत्र गंगल जाति गूर्जर निवासी बाढ़ बिलन्दी सब तहसील मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।

.... असल रेस्पो0/प्रति0

उपस्थित :–
1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

18/1/19

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.01.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिकी दिनांक 23.04.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–ए. व 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि गंगल के ज्येष्ठ पुत्र रामनारायण तथा हीरालाल थे । वादी जब करीब दो–तीन साल का था तब ही वादी के पिता रामनारायण का स्वर्गवास हो गया था । वादी की माता श्रीमती भौतीदेवी ने प्रतिवादी सं0 1 हीरालाल से पुर्नविवाह कर लिया था जब तक वादी के पिता रामनारायण जीवित थे तब तक शामलात में तीनों भाई काबिज रहकर काश्त करते थे तथा उसकी मृत्यु के बाद वादी की माता श्रीमती भौती देवी तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 शामलात में काबिज रहकर काश्त करते थे । वादी की माता के साथ वादी व्यस्क होने पर प्रतिवादी सं0 2 व 3 के साथ शामलात में 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादी की माता का भी स्वर्गवास हो गया है । प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी में स्वयं का व प्रतिवादी सं0 2 का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से दर्ज करा लिया । विवादित आराजी गैर मौरूसी आराजी है । वादी गंगल के मृतक पुत्र रामनारायण का पुत्र गंगल का पौत्र है । वादी विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर काबिज रहकर शामलात में काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादी सं0 1 ने ग्राम नांगल टोडियार का बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में होने पर बन्दोबस्त कर्मचारियों से मिल्लत करके आराजी ख0 नं09 41/5.19 का तन्हा अपने नाम राजस्व रेकार्ड करा लिया जो इन्द्राज वादी के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है तथा वादी इस इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने–आपको 1/3 हिस्से का गैर खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है । प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है जिन इन्द्राज को वादी कलमजन कराकर 1/3 हिस्से का पट्टेदार गैर खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है । उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजी को रहन, बय करने के प्रयास में है तथा वादी को विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं । इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है तथा विवादित आराजी के 1/3 भाग का वादी को तथा 1/3–1/3 भाग का प्रतिवादी सं0 1 व 2 को गैर खातेदार कृषक पट्टेदार घोषित किया जावें । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिनके द्वारा जवाब दावा पेश किया गया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 23.04.2012 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिकी दि0 23.04.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2012 के विरूद्ध यह अपील पेश की है । तहत न्यायालय ने वादी का वाद सैक्शन 151 सी.पी.सी. में खारिज कर दिया । सजरा पेश किया गया है जिसमें वादी के पिता रामनारायण, रामफल व हीरालाल तीनों सगे भाई थे जिसमें से रामनारायण फौत हो गया । जयराम की मॉ ने हीरालाल से घरवासा कर लिया । वाद के पैरा सं0 4 व जवाब का पैरा सं0 4 व 5 का अवलोकन कराया । जवाब मद सं0 5 से अपीलांट सहमत नहीं थे । सभी खसरा में शामिल काश्त की बात कहीं है । तहत न्यायालय को साक्ष्य लेकर वाद को तय करना चाहिए था । विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि नहीं है । जमाबन्दी सम्वत् 2013 पेश की है । विवादित आराजी में से वादी / अपीलांट 1/3 भाग का गैर खातेदार पट्टेदार काबिज काश्तकार घोषित होने योग्य है तथा वादी/अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है जिसका विवादित आराजी में कानूनन हक निहित है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है तथा प्रतिवादी/असल रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 खारिज किया जाकर वादी/अपीलांट की अपील साक्ष्य सबूत लेकर मैरिट पर निस्तारण हेतु तहत न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने का अनुरोध किया । उन्होंने अपने समर्थन में डी.एन.जे. 2011 पेज 1067, आर.आर.डी. 2003 पेज 533, आर.आर.डी. 2011 पेज 181, 603 व आर.आर.डी. 2010 पेज 574 पेश किये ।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2012 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन यिा गया । प्रकरण में कानूनी बिन्दू यह है कि अपीलांट और रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा मृतक गंगल के वारिसान हैं । यदि विवादित आराजी का संबंध मृतक गंगल से रहा है या मृतक गंगल के तीनों पुत्र व बाद में अपीलांट सहित उसकी मां तथा गंगल के दोनों पुत्र साथ में ही रहे हैं तथा साथ में ही काश्त की है तो क्या अपीलांट को उसी अनुसार विवादित आराजी में हिस्सा प्राप्त होगा ? यह बिन्दू तहत न्यायालय को साक्ष्य लेकर तथा उभयपक्षों को सुनकर तय करना है । जहां तक विवादित आराजी के कस्टोडियन होने का प्रश्न है । अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी कभी कस्टोडियन नहीं थी । अतः इन बिन्दुओं पर भी अपीलांट को सुना जाना यह अदालत के मत में सही है ।

जहां तक वाद वादी को 151 सी.पी.सी. के प्रावधानों में खारिज करने का प्रश्न है । न्यायालय का मत है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों में पेश वाद को गुणावगुण पर ही निर्णित किया जाना चाहिए । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दि0 23.04.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

जाता है कि ऊपर दिये गये ऑब्जरवेशन अनुसार अपीलांट को सुना जाकर व साक्ष्य लेकर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान अनुसार पेश वाद को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/1/19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर